बरेली पुलिस

सोशल मीड़िया प्लेटफार्म के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी व भड़काऊ पोस्ट कर धार्मिक व सामाजिक वैमन्सयता फैलाने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 11.06.2022 को **अभियुक्त रेहान** द्वारा साम्प्रादियक व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक स्टेट्स लगायी गयी थी। जिसकी सूचना पर थाना प्रेमनगर पर अभियुक्त रेहान के विरूद्ध **मु0अ0सं0 204/2022 धारा 153-A/295-A भादवि0** पंजीकृत कर अभियुक्त रेहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हैं।

थाना भोजीपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति प्रदीप कुमार देवल उर्फ गुड्डू के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक अकाउंट पर साम्प्रादियक सौहार्द व धार्मिक भावनाएं को भड़काने के उद्देश्य से एक आपत्तिजनक पोस्ट की गयी थी, पुलिस द्वारा उक्त पोस्ट का संज्ञान लेते हुए थाना भोजीपुरा पर प्रदीप कुमार देवल के विरूद्ध मु0अ0सं0 284/22 धारा 153-A/295-A भादवि व 67 IT ACT पंजीकृत कर अभियुक्त प्रदीप कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा हैं।

नोटः- सोशल मीडिया पर इस तरीके की आपत्तिजनक पोस्टों की निगरानी सोशल मीडिया सेल, बरेली द्वारा निरन्तर की जा रही है। अतः बरेली पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि आपत्तिजनक पोस्ट कदापि न करें अन्यथा आपके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।